



श्रीषक,

मनोज कुमार
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ०प्र०
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग**लखनऊ: दिनांक: 05 मई, 2026**

विषय:- मा० मुख्यमंत्री जी के दिनांक 02 अक्टूबर, 2025 को गोरखपुर आगमन के अवसर पर गुरु गोरखनाथ मन्दिर से रामलीला मैदान तक शोभा यात्रा के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों हेतु कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-54/सं०नि०-15(80)/2025-26, दिनांक 10 अप्रैल, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि शासनादेश संख्या- 99 /2026/ 809/चार-2026-1977741 दिनांक 25 मार्च, 2026 द्वारा मा० मुख्यमंत्री जी के दिनांक 02 अक्टूबर, 2025 को गोरखपुर आगमन के अवसर पर गुरु गोरखनाथ मन्दिर से रामलीला मैदान तक शोभा यात्रा के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के आयोजन हेतु **रु० 10,40,627.00** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसके क्रम में संस्कृति निदेशालय के कार्यालय आदेश संख्या- 4955/सं०नि०-15(80)/2025-26 दिनांक 30 मार्च, 2026 द्वारा रु० 10,40,627.00 आहरण का आदेश निर्गत किया गया था। उक्त के संबंध में यह भी अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में सुसंगत मद में धनराशि समाप्त हो जाने के कारण संबंधितों को भुगतान नहीं किया जा सका है।

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० मुख्यमंत्री जी के दिनांक 02 अक्टूबर, 2025 को गोरखपुर आगमन के अवसर पर गुरु गोरखनाथ मन्दिर से रामलीला मैदान तक शोभा यात्रा के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के आयोजन हेतु **रु० 10,40,627.00** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक **शासनादेश संख्या- 99 /2026/ 809/चार-2026-1977741 दिनांक 25 मार्च, 2026 को एतद्वारा निरस्त किया जाता है** तथा चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में मा० मुख्यमंत्री जी के दिनांक 02 अक्टूबर, 2025 को गोरखपुर आगमन के अवसर पर गुरु गोरखनाथ मन्दिर से रामलीला मैदान तक शोभा यात्रा के दौरान निम्नानुसार सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के आयोजन हेतु **रु० 10,40,627.00 (रुपये-दस लाख चालीस हजार छः सौ सत्ताईस मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रस्तर-3 में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति एतद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	कलाकार दल का नाम	विधा	मानदेय	किराया	कुल धनराशि
1	श्री रामज्ञान यादव, गोरखपुर	फरूवाही नृत्य	40,000.00	5,000.00	45,000.00
2	सुश्री सुगम सिंह, गोरखपुर	वनटांगिया जनजाति लोकनृत्य	40,000.00	5,000.00	45,000.00
3	श्री त्रिपुरारी महाराज, अमेठी	नटवरी लोक नृत्य	40,000.00	15,000.00	55,000.00
4	श्री धनंजय सिंह, बांदा	जवारा लोक नृत्य	40,000.00	15,000.00	55,000.00
5	श्री सल्टू राम, आजमगढ़	धोबिया लोक नृत्य	40,000.00	15,000.00	55,000.00
6	श्री रामप्रवेश, गाजीपुर	कहरवा नृत्य	40,000.00	15,000.00	55,000.00
7	सुश्री कुमकुम यादव, अम्बेडकर नगर	बधावा लोकनृत्य	40,000.00	15,000.00	55,000.00
8	श्री रजनेश सिंह, पीलीभीत	थारू लोक नृत्य	40,000.00	22,000.00	62,000.00
9	श्री मोहित चौधरी, वाराणसी	डमरू वादन	40,000.00	15,000.00	55,000.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

10	श्री विनोद कुमार, वाराणसी	करमा नृत्य	40,000.00	15,000.00	55,000.00
					5,37,000.00
व्यय विवरण					
क्र०	विवरण				धनराशि
1	कलाकारों के मानदेय एवं किराये पर व्यय				5,37,000.00
2	वाहन पर व्यय- मे० एम०आर० ट्रेवल्स, लखनऊ				60,159.00
3	आवास एवं भोजन - मे० अयांश हॉस्पिटलिटी सर्विस, गोरखपुर				3,87,135.00
4	सूक्ष्म जलपान पर व्यय - मे० लीला डाइनिंग, गोरखपुर				56,333.00
	(रूपये दस लाख चालीस हजार छः सौ सत्ताईस मात्र)				10,40,627.00

3. शर्तें/ प्रतिबन्ध:-

- (1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (2) संस्कृति निदेशालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
 - (3) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।
 - (4) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल / बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।
 - (5) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
 - (6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।
 - (7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदी पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।
 - (8) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि को संस्थान / कलाकार के बैंक खाते में समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।
 - (9) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निर्वर्तन पर है, अतः बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
 - (10) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. इस संबंध में होने वाला व्यय **रु० 10,40,627.00 (रूपये दस लाख चालीस हजार छः सौ सत्ताईस मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान सं० 92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- 2205-कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्धन-19-विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन-42 अन्य व्यय मद के नामे डाला जायेगा।
5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनुसचिव।